न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 189/2014 एल.आर.एक्ट

1. सरनजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. कुलजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. नसीबकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
4. कुलविन्द्रकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
5. हरबंशकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
6. अवतारसिंह पुत्र बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. बलजिन्द्रकौर पत्नी बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. राजस्थान सरकार

.....**रेस्पोन्डेंट्स**

अपील संख्याः 190/2014 एल.आर.एक्ट

1. सरनजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. कुलजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. नसीबकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
4. कुलविन्द्रकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
5. हरबंशकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. अवतारसिंह पुत्र बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. बलजिन्द्रकौर पत्नी बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोन्डेंट्स

अपील संख्याः 191/2014 एल.आर.एक्ट

1. सरनजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. कुलजीतसिंह पुत्र पोलासिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलदेवसिंह माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
3. नसीबकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
4. कुलविन्द्रकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
5. हरबंशकौर माता हरदयाल कौर पुत्र जंगसिंह जटसिख साकिन करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
6. अवतारसिंह पुत्र बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
7. बलजिन्द्रकौर पत्नी बलराजसिंह जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. राजस्थान सरकार

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री नायबसिंह – अभिभाषक अपीलान्ट ।
अनुपस्थित : 2– श्री नरसाराम – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02,4,5,6,7

निर्णय

दिनांक 6.1.2020

1. **अपील सं. 189/2014**: यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 3/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 6.7.07, जिसके द्वारा चक 3 एसडीएस तहसील सादुलशहर का विरास्तन नामान्तरकरण सं0 140 दिनाक 15.3.02 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. **अपील सं. 190/2014**: यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 4/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 6.7.07, जिसके द्वारा चक 9 केआरडब्लू तहसील सादुलशहर के विरास्तन नामान्तरकरण सं0 124 दिनाक 5.6.02 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
3. **अपील सं. 191/2014**: यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील सं0 5/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 6.7.07, जिसके द्वारा 6 केआरडब्लू तहसील सादुलशहर के विरास्तन नामान्तरकरण सं0 154 दिनाक 3.6.02 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
4. उपरोक्त तीनों अपीलों में पक्षकार एवम् अपीलों के तथ्य समान होने से इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।
5. **अपील सं. 189/2014**: के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 की माता हरदयालकौर के नाम चक 3 एसडीएस तहसील सादुलशहर के संयुक्त खाता सं046 की 50 बीघा भूमि में 1/5 हिस्सा खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरदयालकौर का देहान्त हो जाने पर मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर उसके जायज वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 140 दिनाक 15.3.02 सरपंच, ग्राम पंचायत करड़वाला तह0सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर में प्रथम अपील सं03/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो उपखण्ड न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.7.07 द्वारा इस आधार पर सारहीन मानते हुए खारिज की गयी कि हरदयालकौर की मृत्यु दिनांक 29.1.93 को हो गयी थी, उनकी मृत्यु के बाद दिनाक 6.5.93 को मुखत्यारआम के द्वारा तस्दीक किया गया बैयनामा शुरु से ही प्रभाव शून्य है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 6.7.07 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
6. **अपील सं. 190/2014**: के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 की माता हरदयालकौर के नाम चक 9 केआरडब्लू तहसील सादुलशहर के संयुक्त खाता की 42.16 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरदयालकौर का देहान्त हो जाने पर मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर उसके जायज वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 124 दिनाक 5.6.02 सरपंच, ग्राम पंचायत करड़वाला तह0सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर में प्रथम अपील सं04/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो उपखण्ड न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.7.07 द्वारा इस आधार पर सारहीन मानते हुए खारिज की गयी कि हरदयालकौर की मृत्यु दिनांक 29.1.93 को हो गयी थी, उनकी मृत्यु के बाद दिनाक 6.5.93 को मुखत्यारआम के द्वारा तस्दीक किया गया बैयनामा शुरु से ही प्रभाव शून्य है । न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी, घड़साना द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 6.7.07 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

7. **अपील सं. 191/2014:** के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 की माता हरदयालकौर के नाम चक 6 केआरडब्लू तहसील सादुलशहर के संयुक्त खाता सं08 में 1.110 हैक्टेयर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । हरदयालकौर का देहान्त हो जाने पर मृत्यु एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर उसके जायज वारिसान के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण सं0 154 दिनाक 3.6.02 सरपंच, ग्राम पंचायत करड़वाला तह0सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर में प्रथम अपील सं05/2007 अनवान सरनजीतसिंह बनाम सुखदेवसिंह वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो उपखण्ड न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.7.07 द्वारा इस आधार पर सारहीन मानते हुए खारिज की गयी कि हरदयालकौर की मृत्यु दिनांक 29.1.93 को हो गयी थी, उनकी मृत्यु के बाद दिनाक 6.5.93 को मुखत्यारआम के द्वारा तस्दीक किया गया बैयनामा शुरु से ही प्रभाव शून्य है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 6.7.07 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

8. उपरोक्त तीनों अपीलों में अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से बहस में मुख्य रुप से कथन है कि चक 3एसडीएस तहसील सादुलशहर का खातासं0 46 में 1/5 हिस्सा अर्थात 10 बीघा भूमि, चक 9 केआरडब्लू के खाता सं067 की 42.16 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा एवं चक 6 केआरडब्लू के संयुक्त खाता सं08 में 1.110 हैक्टेयर खातेदारी भूमि हरदयालकौर के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि हरदयालकौर द्वारा दिनांक 10.4.63 को अपीलान्ट के नाम से विक्रय कर दी गयी। उक्त भूमि अपीलान्टान द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा मुखत्यारआम दिनांक 14.1.93 को कागजात उप पंजीयक के समक्ष पेश कर दिये गये थे, जिसकी रजिस्ट्री बाद में हो गयी । यह कि बैयनामा के समय हरदयालकौर जिन्दा थी, बाद में मृत्यु हुई है। प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में सरपंच, ग्राम पंचायत, करड़वाला द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना, सुनवाई किये बिना, कब्जा की जांच किये बिना विरास्तन नामान्तरकरण सं0 क्रमशः 140,124 व 154 दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। जबकि विवादित भूमि हरदयालकौर द्वारा अपीलान्टान को बेचान की जा चुकी है, जिसका विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता है। अतः तीनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश निरस्त फरमाये जावें ।

9. हमने अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस को मध्यनजर रखते हुए रिकॉर्ड का ध्यानापूर्वक अवलोकन एवम् मनन किया । उपरोक्त तीनों अपील प्रकरणों में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है:–

10. तीनों अपील प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 की माता हरदयालकौर द्वारा चक 3 एसडीएसकी 10 बीघा, चक 9 केआरडब्लू की 2/3 हिस्सा एवं चक 6 केआरडब्लू की 1.110 हैक्टेयर खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा वर्ष 1993 में जरिये मुखत्यारआम अपीलान्ट्स को बेचान करने का कथन किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बैयनामा की चित्र प्रतियां प्रस्तुत की गयी है । किन्तु उनके द्वारा वर्ष 1993 के बाद वर्ष 2002 तक 9 वर्ष की अवधि में इस बैयनामा को किसी सक्षम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी के समक्ष पेश कर बैयनामा का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया गया और हरदयालकौर का देहान्त दिनांक 29.1.93 को होने के पश्चात् विवादित भूमि के सम्बन्ध में विरास्तन नामान्तरकरण सं0 140 दिनांक 15.3.02, विरास्तन नामान्तरकरणसं0 124 दिनांक 5.6.02 एवं विरास्तन नामान्तरकरण सं0 154 दिनांक 3.6.02 सरपंच, ग्राम पंचायत करड़वाला द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है । अपीलान्ट्स द्वारा क्रय की गयी भूमि पर कब्जा होने के सम्बन्ध में भी अपील में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय का अभिमत है कि तीनों प्रकरणों में सरपंच, ग्राम पंचायत, करड़वाला द्वारा नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया गया है। उक्त तीनों विरास्तन नामान्तरकरण के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी तीनों अपीलीय निर्णय दिनाक 6.7.07 के अवलोकन अनुसार हरदयालकौर की मृत्यु दिनांक 29.1.93 को हो गयी थी एवम् बैयनामा दिनांक 6.5.93 को तस्दीक किया गया है । इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के इस कथन से सहमत हैं कि हरदयालकौर की मृत्यु के पश्चात मुखत्यारआम को दिये गये समस्त अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये थे । इस प्रकार प्रभाव शून्य बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में सरपंच, ग्राम पंचायत करड़वाला द्वारा स्वीकृत किये गये विरास्तन नामान्तरकरण सं0 140 दिनांक 15.3.02, 124 दिनांक 5.6.02 एवं 154 दिनांक 3.6.02 तथा उपखण्ड न्यायालय घड़साना द्वारा प्रथम अपील सं0 3/2007, 4/2007 एवं 5/2007 में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.07 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.07 यथावत रखते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तीनों द्वितीय अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार तीनों अपील अपीलान्ट्स निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: